



Treaty Series No. 69 (1995)

Agreement

between the Government of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the Republic of India

concerning the Investigation and Prosecution of
Crime and the Tracing, Restraint and Confiscation
of the Proceeds and Instruments of Crime
(including Crimes involving Currency Transfers) and
Terrorist Funds

London, 22 September 1992

[The Agreement entered into force on 1 May 1995]

*Presented to Parliament
by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs
by Command of Her Majesty
September 1995*

LONDON : HMSO

£4.50 net

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
CONCERNING THE INVESTIGATION AND PROSECUTION OF CRIME AND
THE TRACING, RESTRAINT AND CONFISCATION OF THE PROCEEDS AND
INSTRUMENTS OF CRIME (INCLUDING CRIMES INVOLVING CURRENCY
TRANSFERS) AND TERRORIST FUNDS

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of India;

Desiring to provide the widest measure of mutual assistance in the investigation and prosecution of crime and the tracing, restraint and confiscation of the proceeds and instruments of crime (including crimes involving currency transfers) and terrorist funds;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Scope of Application

- (1) The Parties shall, in accordance with this Agreement, grant to each other assistance in the investigation and prosecution of crime and the tracing, restraint and confiscation of the proceeds and instruments of crime (including crimes involving currency transfers), and terrorist funds.
- (2) This Agreement shall be without prejudice to other obligations between the Parties pursuant to other treaties or arrangements or otherwise, and shall not prevent the Parties or their law enforcement agencies from providing assistance to each other pursuant to other treaties or arrangements.

ARTICLE 2

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) "confiscation" means any measure resulting in the deprivation of property;
- (b) "instruments of crime" means any property which is, or is intended to be, used in connection with the commission of an offence;
- (c) proceedings are instituted:
 - (i) in the United Kingdom, when an information has been laid before a Justice of the Peace, or when a person is charged with an offence or when a bill of indictment is preferred, or when a petition warrant is granted;
 - (ii) in the Republic of India, when information relating to commission of any crime is received by any law enforcement agency empowered to investigate such crime under the law for the time being in force and laid before a court of law, or when any allegation is made orally or in writing to a court of law that a person has committed an offence or when a person is charged with an offence, or when any investigation or inquiry into the commission of any offence is directed by a court of law;
- (d) "proceeds of crime" means any property derived or realised, directly or indirectly, by any person as a result of criminal activity (including crimes involving currency transfers), or the value of any such property;
- (e) "property" includes money and all kinds of movable or immovable and tangible or intangible property, and includes any interest in such property;
- (f) "the restraint of property" means any measure for the prevention of dealing in or transfer or disposal of property;

- (g) "terrorist funds" means any property which may be applied or used for the commission of, or in furtherance of or in connection with, acts of terrorism concerned with the affairs of Northern Ireland, or acts of terrorism of any other description except such acts connected solely with the affairs of the United Kingdom or any part of the United Kingdom other than Northern Ireland;
- (h) "acts of terrorism" means any act of terrorism done or to be done which constitutes or would constitute an offence under the law of both the United Kingdom and the Republic of India, but does not include acts connected solely with the affairs of the United Kingdom or any part of the United Kingdom other than Northern Ireland;
- (i) "terrorism" means the use of violence for political ends, and includes any use of violence for the purpose of putting the public or any section of the public in fear.

ARTICLE 3

Central Authorities

- (1) Requests for assistance under this Agreement shall be made through the central authorities of the Parties.
- (2) In the United Kingdom the central authority is the Home Office. In the Republic of India the central authority is the Ministry of Home Affairs.

ARTICLE 4

Contents of Requests

- (1) Requests shall be made in writing. In urgent circumstances, or where otherwise permitted by the Requested Party, requests may be made orally but shall be confirmed in writing thereafter.
- (2) Requests for assistance shall include a statement of:
 - (a) the name of the competent authority conducting the investigation or proceedings to which the request relates;
 - (b) the matters, including the relevant facts and laws, to which the investigation or proceedings relates;
 - (c) the purpose for which the request is made and the nature of the assistance sought;
 - (d) details of any particular procedure or requirement that the Requesting Party wishes to be followed;
 - (e) any time limit within which compliance with the request is desired;
 - (f) the identity, nationality and location of the person or persons who are the subject of the investigation or proceedings.
- (3) If the Requested Party considers that additional information is needed to enable the request to be dealt with, that Party may request such additional information.

ARTICLE 5

Execution of Requests

- (1) A request shall be executed as permitted by and in accordance with the domestic law of the Requested Party and, to the extent not incompatible with such law, in accordance with any requirements specified in the request.
- (2) The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of any circumstances which are likely to cause a significant delay in responding to the request.
- (3) The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of a decision of the Requested Party not to comply in whole or in part with a request for assistance and the reason for that decision.

(4) The Requesting Party shall promptly inform the Requested Party of any circumstances which may affect the request or its execution or which may make it inappropriate to proceed with giving effect to it.

ARTICLE 6

Refusal of Assistance

- (1) Assistance may be refused if:
 - (a) the Requested Party is of the opinion that the request, if granted, would seriously impair its sovereignty, security, national interest or other essential interest; or
 - (b) provision of the assistance sought could prejudice an investigation or proceedings in the territory of the Requested Party, or would constitute a substantial risk to the physical safety of any person; or
 - (c) the action sought is contrary to the domestic law of the Requested Party; or
 - (d) the request concerns restraint or confiscation of proceeds or instruments of an activity which, had it occurred within the jurisdiction of the Requested Party, would not have been an activity in respect of which a confiscation order could have been made; or
 - (e) the request relates to an offence in respect of which the accused person had been finally acquitted or pardoned.
- (2) Before refusing to grant a request for assistance, the Requested Party shall consider whether assistance may be granted subject to such conditions as it deems necessary. If the Requested Party accepts assistance subject to conditions, it shall comply with them.

ARTICLE 7

Confidentiality and Restricting use of Evidence and Information

- (1) The Requested Party shall, to any extent requested, keep confidential a request for assistance, its contents and any supporting documents, and the fact of granting such assistance except to the extent that disclosure is necessary to execute the request. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party which shall then determine the extent to which it wishes the request to be executed.
- (2) The Requesting Party shall, if so requested, keep confidential any evidence and information provided by the Requested Party, except to the extent that its disclosure is necessary for the investigation or proceeding described in the request.
- (3) The Requesting Party shall not use for purposes other than those stated in a request evidence or information obtained as a result of it, without the prior consent of the Requested Party.

ARTICLE 8

Information and evidence

- (1) The Parties may make requests for information and evidence for the purpose of identifying or tracing:
 - (a) proceeds and instruments of crime (including crimes involving currency transfers); and
 - (b) terrorist funds, which may become liable to restraint or confiscation.
- (2) Assistance which may be given under this Article includes but is not limited to:
 - (a) providing information and documents or copies thereof;
 - (b) taking evidence or statements of witnesses or other persons and producing documents, records, or other material for transmission to the Requesting Party;

- (c) searching for, seizing and delivering to the Requesting Party any relevant material, and providing such information as may be required by the Requesting Party concerning the place of seizure, the circumstances of seizure and the subsequent custody of the material seized prior to delivery.
- (3) The Requested Party may postpone the delivery of material requested if such material is required for proceedings in respect of criminal or civil matters in its territory. The Requested Party shall, upon request, provide certified copies of documents.
- (4) Where required by the Requested Party, the Requesting Party shall return material provided under this Article when no longer needed for the purposes for which it was supplied.

ARTICLE 9

Restraint

- (1) In accordance with the provisions of this Article, a Party may request the restraint of property in order to ensure that it is available for the purpose of enforcement of a confiscation order which has been or may be made.
- (2) A request made under this Article shall include:
 - (a) information establishing that proceedings have been or are to be instituted as a result of which a confiscation order has been or may be made;
 - (b) where applicable, a statement of when proceedings are to be instituted;
 - (c) either:
 - (i) a summary of the facts of the case including a description of the offence, the time and place of its commission, a reference to the relevant legal provisions, the grounds on which the suspicion is based and a copy of any relevant restraint order; or
 - (ii) where a confiscation order has been made, a copy of that order;
 - (d) to the extent possible, a description of the property in respect of which restraint is sought or which is believed to be available for restraint, and its connection with the person against whom the proceedings have been or are to be instituted;
 - (e) where appropriate, a statement of the amount which it is desired to restrain and the grounds on which this amount is estimated;
 - (f) where applicable and possible a statement of the estimated time expected to elapse before the case is committed for trial and before a final judgement may be given.
- (3) The Requesting Party shall advise the Requested Party of any alteration in an estimate of time referred to in paragraph (2)(f) above and in doing so shall also give information about the stage of proceedings reached. Each Party shall advise the other promptly of any appeal or variation made in respect of restraint action requested or taken.
- (4) Where a court in the Requested Party imposes a condition limiting the duration of the restraint, the Requested Party shall notify the Requesting Party promptly of any such condition, and the reason for it.

ARTICLE 10

Enforcement of Confiscation Orders

- (1) This Article applies to an order, made by a court of the Requesting Party, intended to confiscate:
 - (a) The proceeds and instruments of crime (including crimes involving currency transfers); or
 - (b) terrorist funds.
- (2) A request for assistance in enforcing such an order shall be accompanied by a copy of the order, certified by an officer of the court that made the order or by the central authority, and shall contain information indicating:

- (a) that neither the order nor any conviction to which it relates is the subject of an appeal;
 - (b) that the order is enforceable in the territory of the Requesting Party;
 - (c) where appropriate, particulars of the property available for enforcement or the property in respect of which assistance is sought, stating the relationship between that property and the person against whom the order has been made;
 - (d) where appropriate, and where known, the interests in the property of any person other than the person against whom the order has been made;
 - (e) where appropriate, the amount which it is desired to realise as a result of such assistance.
- (3) Where the law of the Requested Party does not permit effect to be given to a request in full, the Requested Party shall give effect to it in so far as it is able to do so.
- (4) If a request under this Article relates to an amount of money, that amount shall be converted into the currency of the Requested Party in accordance with its domestic law and procedures.
- (5) Property obtained by the Requested Party in the enforcement of an order to which this Article applies shall remain with that Party, unless otherwise agreed between the Parties.

ARTICLE 11

Mutual Legal Assistance

In addition to the assistance provided for in Articles 1 to 10 of this Agreement, each Party shall, upon request and to the extent permitted by its law, also offer the widest measure of mutual assistance in investigations and prosecutions in relation to criminal offences including:

- (a) the service of judicial documents;
- (b) the search for and seizure of evidence;
- (c) the taking of evidence or statements from persons; and
- (d) the transfer of persons, including persons in custody, for the purpose of assisting in investigations or giving evidence in proceedings.

ARTICLE 12

Costs

The Requested Party shall bear any costs arising within its territory as a result of action taken upon request of the Requesting Party. Extraordinary costs may be subject to special agreement between the Parties. Where the Requested Party considers that the execution of a request would impose an excessive burden on the resources of that Party, the request shall proceed only after consultation with, and with the agreement of, both parties.

ARTICLE 13

Language

Except where otherwise agreed between the Parties in a particular case, requests in accordance with Articles 8, 9, 10 and 11 and supporting documents shall be drawn up in the language of the Requesting Party and shall be accompanied by a translation into that of the Requested Party.

ARTICLE 14

Authentication

Unless otherwise required under national law, and without prejudice to Article 10(2), documents certified by a central authority shall not require further certification, authorisation or legalisation for the purposes of this Agreement.

ARTICLE 15

Territorial Application

This agreement shall apply:

- (1) in relation to the United Kingdom, in respect of requests concerning the investigation and prosecution of crime and the tracing, restraint and confiscation of the proceeds of crime (including crimes involving currency transfers):
 - (a) to England and Wales and Northern Ireland;
 - (b) subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in exchanges of Notes through the diplomatic channel, to Scotland, and to the Channel Islands and the Isle of Man;
 - (c) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended, subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in exchanges of Notes. Either Party may terminate such extension by giving six months' written notice to the other through the diplomatic channel;
- (2) in relation to the United Kingdom, in respect of requests concerning terrorist funds:
 - (a) to the United Kingdom; and
 - (b) subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in exchanges of Notes through the diplomatic channel, to the Channel Islands and Isle of Man; and
 - (c) to any territory for the international relations of which the United Kingdom is responsible and to which this Agreement shall have been extended, subject to any necessary modifications, by agreement between the Parties embodied in exchanges of Notes. Either Party may terminate such extension by giving six months' written notice to the other through the diplomatic channel;
- (3) to the Republic of India.

ARTICLE 16

Final Provisions

- (1) Each Government shall notify the other Government as soon as possible in writing through the diplomatic channel of the completion of their respective requirements for entry into force of this Agreement. The Agreement shall enter into force on the first day of the month following the expiration of one calendar month after the date of the latter of these notifications.¹
- (2) It may be terminated by either Party by giving notice to the other Party through the diplomatic channel.

The Agreement shall cease to be effective six months after the date of receipt of such notice.

In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at London this 22nd day of September 1992, in the English and Hindi languages. In case of doubt, the English text shall prevail.

For the Government of the United
Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland:

For the Government of the Republic of
India:

KENNETH CLARKE

S. B. CHAVAN

¹The Agreement entered into force on 1 May 1995.

अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन तथा अपराध जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनमें मुद्रा का अन्तरण होता हो से अर्जित धन और अपराध के साधन के रूप में प्रयुक्त सम्पत्ति तथा आतंकवादी क्लेशों का फता लगाने, उसकी रोकथाम करने तथा जप्त करने के संबंध में संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन एवं उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच करार

.....

संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार;

अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन तथा अपराध जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनमें मुद्रा का अन्तरण हो से अर्जित धन और अपराध के साधन के रूप में प्रयुक्त सम्पत्ति तथा आतंकवादी क्लेशों का फता लगाने, उनकी रोकथाम करने तथा उसे जप्त करने में आपसी सहायता को व्यापकतम उपयुक्त उपलब्ध करने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद-1

प्रवर्तन का अधिकार क्षेत्र

§1§ दोनों पक्ष इस करार के अनुसार,

अपराध की जांच-पड़ताल करने और मुकदमा चलाने तथा अपराध की जांच-पड़ताल और अभियोजन तथा अपराध जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनमें मुद्रा अन्तरण होता हो से अर्जित धन तथा अपराध के साधन के रूप में प्रयुक्त सम्पत्ति तथा आतंकवादी क्लेशों का फता लगाने, उन्हें रोकने और जप्त करने में एक-दूसरे को सहायता देंगे।

§2§ यह करार अन्य संधियों अथवा प्रबंधों अथवा अन्यथा के अनुसार दोनों पक्षों के बीच अन्य दायित्वों के भेदभाव के बिना होगा और यह दोनों पक्षों अथवा उनके कानून प्रवर्तन अभिकरणों को अन्य संधियों अथवा प्रबंधों के अनुसार एक-दूसरे को सहायता देने से नहीं रोकेगा।

अनुच्छेद-2

पीठमाषापं

इस करार के प्रयोजन के लिए :

§क§ "जन्त करने" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसा उपाय जिसमें सम्पत्ति की क्षति होती हो;

§ख§ "आपराधिक दस्तावेजों" से अभिप्रेत है कोई भी ऐसी सम्पत्ति जिसका इस्तेमाल अपराध करने के सिलसिले में हो अथवा जिसका इरादा अपराध करने के लिए हो;

§ग§ निम्नलिखित राज्यों में निम्नलिखित स्थितियों में कार्रवाई शुरू की जाएगी:

§।।§ यूनाईटेड किंगडम में जस्टिस आफ द पीस के समक्ष जब कोई सूचना पेश की गई हो अथवा जब किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया हो अथवा जब अप्रारोपण पत्र दायर किया गया हो अथवा जब वारण्ट याचिका मंजूर की गई हो;

§।।।§ भारत गणराज्य में जब किसी अपराध को करने से संबंधित सूचना ऐसी किसी विधि प्रवर्तन एजेंसी को प्राप्त हुई हो जिसे तत्समय प्रवृत्त कानून के अधीन ऐसे अपराध की जांच करने का अधिकार प्राप्त हो और ऐसी सूचना न्यायालय के समक्ष पेश की गई हो अथवा इस आशय का कोई आरोप मौखिक अथवा लिखित रूप में न्यायालय में लगाया गया हो कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है अथवा जब किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया हो, अथवा जब न्यायालय द्वारा किसी अपराध की जांच-पड़ताल अथवा जांच करने का निदेश दिया गया हो;

§घ§ "अपराध-जन्य सम्पत्तियों" से अभिप्रेत है ऐसी सम्पत्ति जिसे किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आपराधिक गतिविधि जिसमें मुद्रा अन्तरण के अपराध शामिल हैं के परिणामस्वरूप या किसी ऐसी सम्पत्ति के मूल्य के कारण प्राप्त किया गया हो या वसूल किया गया हो;

§ङ. § "सम्पत्ति" में धन और सभी प्रकार की चल अथवा अचल और ठोस या अप्रत्यक्ष सम्पत्ति और ऐसी सम्पत्ति पर आने वाला ब्याज भी शामिल है;

§च§ "सम्पत्ति पर प्रतिबंध" से अभिप्रेत है ऐसे उष्य जिनके द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण, निपटान या उसके संबंध में लेन-देन पर रोक लगाई जा सके;

§छ§ "आतंकवादी कौषों" से अभिप्रेत है ऐसी सम्पत्ति जिसे उत्तरी आयरलैण्ड के कार्यों से संबंधित आतंकवादी कार्यों को करने, उन्हें गति देने या उनके संबंध में उपयोग या प्रयोग में लाया जाए अथवा किसी अन्य प्रकार के आतंकवादी कार्य सिवाय ऐसे कार्यों के जो केवल यूनाईटेड किंगडम अथवा उत्तरी आयरलैण्ड को छोड़कर यूनाईटेड किंगडम के किसी भाग के मामलों से जुड़े हों;

§ज§ "आतंकवाद के कार्यों" से अभिप्रेत है आतंक का कोई कार्य जो किया गया हो या किया जाना हो और जो यूनाईटेड किंगडम और भारत गणराज्य दोनों के कानून के अधीन अपराध हो या अपराध के दायरे में आता हो लेकिन उत्तरी आयरलैण्ड को छोड़कर केवल मात्र यूनाईटेड किंगडम या यूनाईटेड किंगडम के किसी हिस्से से संबंधित कार्यों में शामिल न हो;

§झ§ "आतंकवाद" से अभिप्रेत है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा का प्रयोग और इसमें आम जनता या जनता के किसी वर्ग को डराने के अभिप्राय से हिंसा का प्रयोग।

अनुच्छेद-3

केन्द्रीय प्राधिकरण

§1§ इस करार के अन्तर्गत सहायता के लिए अनुरोध संबद्ध देशों के केन्द्रीय प्राधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा।

§2§ यूनाईटेड किंगडम में केन्द्रीय प्राधिकारी गृह कार्यालय है। भारत गणराज्य में केन्द्रीय प्राधिकारी गृह मंत्रालय है।

अनुच्छेद-4
अनुरोध के विषय

§1§ अनुरोध लिखित में किया जाएगा। अति तत्काल परिस्थितियों में या अन्यथा जहां अनुरोधकर्ता द्वारा अनुमति दी जाए अनुरोध मौखिक रूप से किया जा सकता है लेकिन बाद में इसकी पुष्टि लिखित में करनी होगी।

§2§ सहायता के लिए अनुरोध में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

§क§ जांच या कार्यवाही जिसके संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है, करने वाले सक्षम अधिकारी का नाम;

§ख§ संबंधित तथ्यों तथा कानूनों समेत मामले जिनके संबंध में जांच या कार्यवाही की जानी है;

§ग§ किस उद्देश्य से अनुरोध किया गया है और मांगी गई सहायता का प्रकार;

§घ§ उस विशेष प्रक्रिया या आवश्यकता के विवरण जिसका अनुरोधकर्ता अनुसरण करना चाहता हो;

§ङ - § समय-सीमा जिसके भीतर अनुरोध पर कार्यवाही पूरी की जानी हो;

§च§ जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के बारे में जांच या कार्यवाही की जानी है उनकी पहचान, राष्ट्रिकता तथा स्थान।

§3§ यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता समझता है कि अनुरोध पर समुचित कार्रवाई करने के लिए और अतिरिक्त सूचना जरूरी है तो वह पक्ष ऐसी अतिरिक्त सूचना के लिए अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद-5
अनुरोधों का निष्पदन

§1§ अनुरोध का निष्पदन अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के स्वदेशी कानूनों और दी गई अनुमति के अनुसार किया जाएगा और उसी सीमा तक किया जाएगा जहां तक

अनुरोध में निर्धारित किन्हीं आवश्यकताओं के अनुसरण में ऐसे कानून का विरोध न होता हो।

§2§ अनुरोधप्राप्तकर्ता अनुरोधकर्ता को शीघ्र उन परिस्थितियों की सूचना देगा जिनसे अनुरोध के निष्पादन में काफी विलम्ब होने की संभावना हो।

§3§ अनुरोध प्राप्तकर्ता अनुरोधकर्ता को अनुरोध प्राप्तकर्ता के उस निर्णय से शीघ्र अवगत कराएगा जिसमें सहायता अनुरोध के पूरे या किसी भाग का अनुपालन न करने का निर्णय लिया हो और ऐसा निर्णय लेने के कारण क्या हैं।

§4§ अनुरोधकर्ता अनुरोध प्राप्तकर्ता को शीघ्र उन परिस्थितियों से अवगत कराएगा जो अनुरोध या उसके निष्पादन को प्रभावित कर सकती हों या जिनके रहते मामले में आगे बढ़ना अनुचित हो।

अनुच्छेद-6

सहायता से इन्कार

§1§ सहायता अस्वीकार कर दी जाए यदि:

§क§ अनुरोध प्राप्तकर्ता का मत हो कि अनुरोध स्वीकार करने से उसकी प्रभुसत्ता, सुरक्षा, राष्ट्रीय हित या अन्य अनिवार्य हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा; या

§ख§ मांगी गई सहायता उपलब्ध कराने से अनुरोध प्राप्तकर्ता के क्षेत्र में जांच या कार्यवाही को हानि पहुंच सकती हो या किसी व्यक्ति की शारीरिक सुरक्षा को काफी सतर्क उत्पन्न हो सकता हो; या

§ग§ की जाने वाली कार्यवाही अनुरोध प्राप्तकर्ता के स्वदेशी कानून के विपरीत हो; या

§घ§ अनुरोध अपराधजन्य सम्पत्तियों पर रोक लगाने या जब्त करने या किसी

ऐसी गतिविधि के दस्तावेज से संबंधित हो जो यदि अनुरोध प्राप्तकर्ता के अधिकार क्षेत्र में घट जाए तो यह ऐसी घटना नहीं रहेगी जिसके संबंध में जल्द आदेश दिया जा सकता हो; या

§ड.११ अनुरोध ऐसे अपराध से संबंधित हो जिसमें दोषी व्यक्ति को पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया गया हो या माफी दे दी गई हो।

§2१ सहायता अनुरोध को अस्वीकार करने से पहले अनुरोध प्राप्तकर्ता विचार करेगा कि क्या सहायता कुछ आवश्यक शर्तों पूरी करने पर दी जा सकती है। यदि अनुरोधकर्ता शर्तों के अनुसार सहायता लेना स्वीकार कर लेता है तो उसे उनका अनुपालन करना चाहिए।

अनुच्छेद-7

साक्ष्य तथा सूचना की गोपनीयता तथा उसका सीमित प्रयोग

§1१ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष जहां तक होगा सहायता अनुरोध, उसके विषय और समर्थन दस्तावेजों और सहायता देने के तथ्य गोपनीय रखेगा, सिवाय उनके जिनका अनुरोध के निष्पादन में प्रकट करना आवश्यक हो। यदि गोपनीयता को भंग किये बिना अनुरोध को निष्पादित न किया जा सकता हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता अनुरोधकर्ता को इस आशय से सूचित करेगा जो फिर निर्णय करेगा कि अनुरोध को कहां तक निष्पादित किया जाए।

§2१ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यदि अनुरोधकर्ता पक्ष से इस आशय का अनुरोध करता है कि जो साक्ष्य और सूचना उसने दी है उसे गोपनीय रखा जाए तो अनुरोधकर्ता पक्ष ऐसे किसी साक्ष्य और सूचना के उस अंश को छोड़कर उसे गोपनीय रखेगा जिसका अनुरोध में उल्लिखित जांच-पड़ताल अथवा कार्रवाई के लिए उद्घाटन आवश्यक हो।

§3१ अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध के परिणामतः प्राप्त साक्ष्य अथवा सूचना को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की पूर्व सम्मति के बिना अनुरोध में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं करेगा।

अनुच्छेद-8
सूचना और साक्ष्य

§1§ सम्बद्ध पक्ष :

§क§ अपराधजन्य सम्पत्तियों और आपराधिक दस्तावेजों जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनमें मुद्रा का अन्तरण होता हो; और

§ख§ आतंकवादी कोष,

जिन्हें रोकना या जब्त किया जा सकता हो, के पहचान अथवा तलाश के उद्देश्यों के लिए सूचना तथा साक्ष्य के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

§2§ इस अनुच्छेद के अधीन दी गई सहायता में निम्नलिखित शामिल हैं परन्तु यह उन तक सीमित नहीं है:

§क§ सूचना और प्रलेख या उनकी प्रतियां उपलब्ध कराना;

§ख§ गवाहों अथवा अन्य व्यक्तियों को साक्ष्य लेना अथवा बयान लेना और अनुरोधकर्ता पक्ष को देने के लिए दस्तावेजों, रिकार्ड अथवा अन्य सामग्री को प्रस्तुत करना;

§ग§ किसी संगत सामग्री को ढूंढना, उसे जब्त करना तथा उसे अनुरोधकर्ता पक्ष को देना और जब्ती के स्थान, जब्ती की परिस्थितियां और सुपुर्दगी से पूर्व जब्त सामग्री की उत्तरवर्ती सुरक्षा से संबंधित अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा यथा अपेक्षित ऐसी सूचना उपलब्ध कराना।

§3§ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधित सामग्री की सुपुर्दगी को स्थगित कर सकता है, यदि ऐसी सामग्री इसके प्रदेश में आपराधिक अथवा सिविल मामलों के संबंध में कार्यवाहियों के लिए अपेक्षित हो। अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोध पर दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

§4§ जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा अपेक्षित हो, अनुरोधकर्ता पक्ष इस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध कराई गई सामग्री को लौटा देगा, यदि इसकी उस प्रयोजन के लिए आवश्यकता न रह गई हो जिसके लिए यह दी गई थी।

अनुच्छेद-9

रोकथाम

§1§ इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार कोई भी पक्ष इस बात का अनुरोध कर सकता है कि सम्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह किए गए अथवा किए जाने वाले जब्ती आदेश के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए उपलब्ध है।

§2§ इस अनुच्छेद के तहत किए गए अनुरोध में निम्नलिखित शामिल होंगे:

§क§ ऐसी सूचना जिससे यह पता चल सके कि कार्यवाहियां शुरू हो गई हैं अथवा शुरू की जानी हैं जिसके फलस्वरूप जब्ती आदेश दिया गया है अथवा दिया जा सकता है;

§ख§ जहां लागू हो, यह विवरण कि कार्यवाहियां कब शुरू की जानी हैं;

§ग§ या तो;

§1§ मामले के तथ्यों का सार जिसमें अपराध का विवरण शामिल है, अपराध करने का समय और स्थान और संगत कानूनी प्रावधानों का संदर्भ, संदेह किन बातों पर आधारित है और किसी संगत रोक आदेश की प्रति; अथवा

§2§ जहां जब्ती आदेश किया गया है, उस आदेश की एक प्रति;

§घ§ जहां तक संभव हो, ऐसी सम्पत्ति का विवरण जिसके संबंध में प्रतिबंध मांगा गया है अथवा जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह प्रतिबंध के लिए उपलब्ध है और इसका उस व्यक्ति के साथ संबंध जिसके खिलाफ कार्यवाहियां की गई हैं अथवा की जानी हैं;

§ड.§ जहां उपयुक्त हो, उस राशि का विवरण जिस पर प्रतिबंध लगाया जाना है और जिस आधार पर इस राशि का अनुमान लगाया गया है;

§च§ जहां लागू और संभव हो, उस अनुमानित समय का विवरण जिसके मुकदमा शुरू होने से पहले बीत जाने की उम्मीद है तथा जब तक अन्तिम निर्णय दिया जा सकता है।

§3§ अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष को उक्त पैरा 2§च§ में उल्लिखित अनुमानित समय में किसी प्रकार के परिवर्तन की सलाह देगा और ऐसा करते समय इस बारे में भी सूचना देगा कि कार्यवाहियां किस चरण में पहुंच गई हैं। प्रत्येक पक्ष अनुरोधित अथवा की गई रोक करवाई के संबंध में किसी अपील अथवा परिवर्तन की सलाह दूसरे पक्ष को तुरन्त देगा।

§4§ जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष का न्यायालय कोई ऐसी शर्त लगाता है जिसमें रोक की अवधि सीमित की गई हो तो अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष ऐसी किसी भी शर्त की सूचना तत्काल अनुरोधकर्ता देश को देगा और इसके कारण भी बताएगा।

अनुच्छेद-10

जब्ती आदेशों को लागू करना

§1§ यह अनुच्छेद अनुरोधकर्ता पक्ष के न्यायालय द्वारा दिए गए उस आदेश पर लागू होता है जिसकी मंशा §क§ अपराध से अर्जित धन और अपराध के साधनों §जिसमें वे अपराध शामिल हैं जिनमें मुद्रा का अन्तरण होता हो§ अथवा §ख§ आतंकवादी केषों को जप्त करने की हो।

§2§ ऐसे आदेश को लागू करने में सहायता करने के अनुरोध के साथ आदेश की प्रति भी दी जाएगी जो आदेश देने वाले न्यायालय के अधिकारी द्वारा अथवा केन्द्रीय अधिकारी द्वारा सत्यापित हो और इसमें निम्नलिखित बातें दर्शाने वाली सूचना भी शामिल होगी:

§क§ कि न तो आदेश और न ही इससे संबंधित सजा पर अपील की गई है;

§ख§ कि आदेश को अनुरोधकर्ता पक्ष के प्रदेश में लागू किया जाना है;

§ग§ जहां उपयुक्त हो, प्रवर्तन के लिए उपलब्ध सम्पत्ति अथवा उस सम्पत्ति का ब्यौरा जिसके संबंध में सहायता मांगी गई है, इसमें सम्पत्ति और उस व्यक्ति के बीच संबंध भी बताए जाएं जिसके खिलाफ आदेश किया गया है;

§घ§ जहां उपयुक्त हो, और जहां ज्ञात हो सम्पत्ति में किसी व्यक्ति के हित-सिवाय उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ आदेश दिया गया है;

§ङ.§ जहां उपयुक्त हो, वह राशि जिसकी वसूली ऐसी सहायता के फलस्वरूप की जानी है।

§उ§ जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता देश का कानून किसी अनुरोध का पूरी तरह से पालन कराने की इजाजत नहीं देता, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष उसे उतनी सीमा तक लागू करेगा जितनी सीमा तक वह कर सकता है।

§४§ यदि इस अनुच्छेद के तहत किया गया अनुरोध किसी धनराशि से संबंधित है तो उस राशि को अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के घरेलू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार वहां की मुद्रा में परिवर्तित किया जाएगा।

§५§ ऐसे किसी आदेश को लागू करने में, जिस पर यह अनुच्छेद लागू होता है, अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष द्वारा हासिल की गई सम्पत्ति उस पक्ष के पास रहेगी बशर्ते कि दोनों पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हुई हो।

अनुच्छेद-11

आपसी कानूनी सहायता

§१§ प्रत्येक पक्ष अनुरोध करने पर तथा जहां तक उसके कानून इसकी इजाजत देंगे, दूसरे पक्ष को निम्नलिखित सहित दाण्डिक अपराधों के मामले में जांच-पड़ताल करने और मुकदमा चलाने में अधिकतम आपसी सहायता देगा:

॥क॥ न्यायिक दस्तावेजों की सेवा;

॥ख॥ साक्ष्यों की सौज और जब्ती;

॥ग॥ व्यक्तियों से साक्ष्य अथवा बयान लेना; और

॥घ॥ जांच-पड़ताल में सहायता करने अथवा कार्यवाहियों में साक्ष्य देने के प्रयोजन से हिरासत के व्यक्तियों सहित व्यक्तियों का स्थानान्तरण।

अनुच्छेद-12

लागत

अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के अनुरोध पर की गई क्वर्रवाई के फलस्वरूप अपने प्रदेश के भीतर होने वाली किसी भी लागत को वहन करेगा। असाधारण लागत दोनों पक्षों के बीच विशेष करार के अधीन हो सकती है। जहां अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष यह समझता है कि किसी अनुरोध के क्रियान्वयन से उस पक्ष के संसाधनों पर अत्यधिक बोझ पड़ता है तो अनुरोध पर आगे की क्वर्रवाई दोनों पक्षों के परामर्श और उनकी सहमति से ही की जाएगी।

अनुच्छेद-13

भाषा

सिवाय उसके जब किसी विशेष मामले में दोनों पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हुई हो, अनुच्छेद-8, 9, 10 और 11 के अनुसार अनुरोध और समर्थनकारी दस्तावेज अनुरोधकर्ता देश की भाषा में तैयार किये जाएंगे और उनके साथ अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष की भाषा में अनुवाद भेजा जाएगा।

अनुच्छेद-14

प्रमाणीकरण

जब तक राष्ट्रीय कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित न हों तब तक और अनुच्छेद 10१2१ के बिना पक्षपत के केन्द्रीय प्राधिकारी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का इस करार के प्रयोजनों के लिए और सत्यापन करने, प्रमाणीकरण करने अथवा कानूनीकरण करने की जरूरत नहीं होगी।

अनुच्छेद-15
प्रदेशिक प्रवर्तन

यह करार निम्नलिखित पर लागू होगा:

§1§ यू.के. के मामले में अपराध जिसमें मुद्रा के अन्तरण संबंधी अपराध शामिल हों से अर्जित धन, उसकी जांच-पड़ताल, अभियोजन तथा उसके साधनों से संबंधित अनुरोधों के संबंध में;

§क§ इंग्लैण्ड और वेल्स तथा उत्तरी आयरलैण्ड;

§ख§ राजनयिक सूत्रों के माध्यम से टिप्पणों के आदान-प्रदान में निहित दोनों पक्षों के बीच सहमति द्वारा किसी आवश्यक संशोधन के अधीन रहते हुए स्कॉटलैण्ड और चैनल द्विपसमूह तथा आयल आफ मैन;

§ग§ टिप्पणों के आदान-प्रदान में शामिल पक्षों के बीच सहमति से कोई आवश्यक संशोधन के अधीन रहते हुए कोई ऐसा प्रदेश जिसके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यूनाईटेड किंगडम उत्तरदायी है और जिस पर यह करार विस्तारित किया गया हो। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष राजनयिक माध्यम के जरिये दूसरे पक्ष को छह मास की लिखित सूचना देकर ऐसे विस्तार को समाप्त कर सकता है;

§2§ आतंकवादी कोंषों से संबंधित अनुरोधों के मामले में, यूनाईटेड किंगडम के मामले में,

§क§ यूनाईटेड किंगडम; और

§ख§ राजनयिक माध्यम के जरिये टिप्पणों के आदान-प्रदान में शामिल पक्षों के बीच सहमति से किसी आवश्यक परिवर्तन के अधीन रहते हुए, चैनल द्विपसमूह और आयल आफ मैन; और

§ग§ टिप्पणों के आदान-प्रदान में शामिल पक्षों के बीच सहमति से कोई आवश्यक संशोधन के अधीन रहते हुए कोई ऐसा प्रदेश जिसके अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए यूनाईटेड किंगडम उत्तरदायी है और जिस पर यह करार विस्तारित किया गया हो। दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष राजनयिक माध्यम के जरिये दूसरे पक्ष को छह मास की लिखित सूचना देकर ऐसे विस्तार को समाप्त कर सकता है;

§3§ भारत गणराज्य।

अनुच्छेद-16
अन्तिम प्रवधान

§1§ प्रत्येक सरकार दूसरी सरकार को राजनयिक सूत्रों के माध्यम से इस करार को लागू करने की अपनी-अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने की लिखित सूचना यथाशीघ्र देगी। यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख के बाद एक कैलेंडर मास के समाप्त होने के बाद मास के प्रथम दिन से लागू होगा।

§2§ दोनों में से कोई भी पक्ष राजनयिक माध्यम के जरिये दूसरे पक्ष को सूचना देकर इसे समाप्त कर सकता है।

यह करार ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख के छह महीने के बाद निष्प्रभावी हो जाएगा।

जिसके साक्ष्यस्वरूप अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने, जिन्हें उनकी अपनी-अपनी सरकारों ने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत किया है, इस करार पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

आज ईसवी सन् एक हजार नौ सौ बानवे के सितम्बर मास के २२ दिन अंग्रेजी और हिन्दी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न हुआ। संदेह की स्थिति में अंग्रेजी पठ सर्वोपरि होगा।

संयुक्त राज्य, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैण्ड
की सरकार की ओर से

KENNETH CLARKE

भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

S. B. CHAVAN



Published by HMSO and available from:

HMSO Publications Centre

(Mail, fax and telephone orders only)
PO Box 276, London, SW8 5DT
Telephone orders 0171-873 9090
General enquiries 0171-873 0011
(queuing system in operation for both numbers)
Fax orders 0171-873 8200


HMSO Bookshops

49 High Holborn, London, WC1V 6HB
(counter service only)
0171-873 0011 Fax 0171-831 1326
68-69 Bull Street, Birmingham B4 6AD
0121-236 9696 Fax 0121-236 9699
33 Wine Street, Bristol, BS1 2BQ
0117 9264306 Fax 0117 9294515
9-21 Princess Street, Manchester, M60 8AS
0161-834 7201 Fax 0161-833 0634
16 Arthur Street, Belfast, BT1 4GD
01232 238451 Fax 01232 235401
71 Lothian Road, Edinburgh, EH3 9AZ
0131-228 4181 Fax 0131-229 2734
The HMSO Oriel Bookshop
The Friary, Cardiff CF1 4AA
01222 395548 Fax 01222 384347

HMSO's Accredited Agents
(see Yellow Pages)

and through good booksellers

ISBN 0-10-129572



9 780101 29572